25/5/22

पत्रावली पेश हुई, वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा. राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने से जनरल तारीख पेश [redacted] दी गई। पत्रावली दिनांक 23.6.22 को पेश हो।

20.6.22 प्रार्थना पत्र सिविल नवीनीकरण प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा नोट शीट में खारिज किए जाने बाबत पेश किए जाने पर पत्रावली पेशगी की गई।

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर खारिज हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)

पत्रावली प्रकरण में अभिभाषकों द्वारा पत्रावली नहीं चाहता है। प्रकरण को नोटशीट में खारिज करा दिया जावे

20-6-22